बिहार सरकार
गन्ना उद्योग विभाग

पत्रांक–01/बजट–यो०–38/2025– 15 ...   **पटना, दिनांक–** 07 **जनवरी, 2026**

प्रेषक,

अनिल कुमार झा, भा.प्र.से.
बिहार, पटना।

सेवा में,

ईख पदाधिकारी, रामनगर अंचल, बेतिया/ बेतिया अंचल, बेतिया/ गोपालगंज/मुजफ्फरपुर/समस्तीपुर/मोतिहारी/सीवान।

विषय : **माननीय मुख्यमंत्री, बिहार द्वारा प्रगति यात्रा में की गई घोषणा के आलोक में राज्य में गन्ना कृषकों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने हेतु निर्गत विभागीय संकल्प संख्या–42 दिनांक–13.01.2025 के आलोक में ईख मूल्य की दर में 10 रू०/ क्विंटल की दर में वृद्धि की स्वीकृति हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य योजना अन्तर्गत कुल स्वीकृत राशि मो० 70.00 (सत्तर) करोड़ रूपये के विरूद्ध मो० 31,50,02,109.00 (इकतीस करोड़ पचास लाख दो हजार एक सौ नौ) रूपये मात्र का आंवटन।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक स्वीकृत्यादेश संख्या–527 स्वी०/सी.सी. दिनांक–12.12.2025 द्वारा माननीय मुख्यमंत्री, बिहार द्वारा प्रगति यात्रा में की गई घोषणा के आलोक में राज्य में गन्ना कृषकों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने हेतु पेराई सत्र 2024–25 से पूर्व से निर्धारित ईख मूल्य के दर में 10.00 (दस) रू० प्रति क्विंटल की दर से बढ़ोतरी किये जाने की स्वीकृति एवं वृद्धि के पश्चात् अन्तर राशि अनुमानित 70.00 (सत्तर) करोड़ रू० का एवं प्रतिवर्ष अनुमान के आधार पर वहन राज्य सरकार द्वारा किये जाने की स्वीकृति एवं इसके अधीन वित्तीय वर्ष 2025–26 में बजट उपबंध अन्तर्गत 70.00 (सत्तर) करोड़ रू० व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है। योजना के कार्यान्वयन हेतु स्वीकृत राशि अन्तर्गत मो० 31,50,02,109.00 (इकतीस करोड़ पचास लाख दो हजार एक सौ नौ) रूपये मात्र का आंवटन किया जा रहा है तथा संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (संलग्न सूची **परिशिष्ट–I**) के अनुसार आवंटित राशि की निकासी संबंधित कोषागार से कर सकेंगे।

2. इस योजना के कार्यान्वयन के लिए कुल आवंटित राशि मो० **31,50,02,109.00** (इकतीस करोड़ पचास लाख दो हजार एक सौ नौ) रूपये मात्र की निकासी वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य योजनान्तर्गत मुख्य शीर्ष 2852–उद्योग–उप मुख्य शीर्ष–08–उपभोक्ता उद्योग, लघु शीर्ष– 201–चीनी मांग संख्या–45 उप शीर्ष–0103 आर्थिक सहायता विपत्र कोड–45–2852082010103 से विकलनीय होगा।

3. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक–235/वि० दिनांक–01.04.2025 के आलोक में आवंटित की जा रही है।

4. स्वीकृत्यादेश संख्या–527 स्वी०/सी.सी. दिनांक–12.12.2025 में निहित शर्तो/निर्देशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय जिसकी पूर्ण जबाबदेही निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी। ईखायुक्त, बिहार इसके सर्वोच्च नियंत्रित पदाधिकारी होंगे।

5. उक्त योजना अन्तर्गत व्यय की गयी राशि से संबंधित व्यय प्रतिवेदन संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा गन्ना उद्योग विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जायेगा।

विश्वासभाजन

अनुलग्नक : यथोक्त।

ईखायुक्त, बिहार।
कृ०पृ०उ०

ज्ञापांक–01 / बजट–यो०–38 / 2025– 15972 **पटना, दिनांक–** 07 **जनवरी, 2026**

प्रतिलिपि–कोषागार पदाधिकारी, बेतिया / गोपालगंज / मुजफ्फरपुर / समस्तीपुर / मोतिहारी / सीवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

7.1.2026

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–01 / बजट–यो०–38 / 2025– 15972 **पटना, दिनांक–** 07 **जनवरी, 2026**

प्रतिलिपि–महालेखाकर, बिहार, पटना (विवरणी सहित) / वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना / उप निदेशक, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना / उप सचिव, गन्ना उद्योग विभाग / अवर सचिव, गन्ना उद्योग विभाग / संयुक्त ईखायुक्त, बिहार, पटना / सहायक ईखायुक्त, मुख्यालय / सहायक ईखायुक्त, उत्तर बिहार, मुजफ्फरपुर / विशेष कार्य पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, गन्ना उद्योग विभाग / सभी ईख पदाधिकारी / सभी विशेष ईख पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. आई०टी० मैनेजर, गन्ना उद्योग विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

7.1.2026

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–01 / बजट–यो०–38 / 2025– 15972 **पटना, दिनांक–** 07 **जनवरी, 2026**

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार के आप्त सचिव / अपर मुख्य सचिव, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार के आप्त सचिव / ईखायुक्त, बिहार के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

7.1.2026

ईखायुक्त, बिहार।

परिशिष्ट–I

स्वीकृत्यादेश संख्या–527 स्वी०/सी०सी० दिनांक–12.12.2025 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए विपत्र कोड–45–2852082010103 अंतर्गत निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उनके सामने आवंटित राशि तथा संबंधित कोषागार का नाम जिससे राशि की निकासी की जायेगी, की विवरणी।

क्र०	ईख पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	चीनी मिल का नाम	आवंटित राशि	कोषागार का नाम जहाँ से राशि की निकासी की जायेगी
1	2	3	4	5
1.	ईख पदाधिकारी, रामनगर अंचल बेतिया, प० चम्पारण	तिरूपति सुगर्स लि०, बगहा, प० चम्पारण	46862096.50	बेतिया, प० चम्पारण
2.		हरिनगर सुगर मिल लि०, हरिनगर, प० चम्पारण।	67826622.50	बेतिया, प० चम्पारण
3.		न्यू स्वदेशी सुगर मिल, नरकटियागंज, प० चम्पारण।	50910199.50	बेतिया, प० चम्पारण
4.	ईख पदाधिकारी, बेतिया अंचल बेतिया, प० चम्पारण	मझौलिया सुगर इण्डस्ट्रीज, मंझौलिया, प० चम्पारण।	27173959.00	बेतिया, प० चम्पारण
5.		एच०पी०सी०एल० बायोफ्यूल्स लि०, लौरिया, प० चम्पारण।	17170289.50	बेतिया, प० चम्पारण
6.	ईख पदाधिकारी, गोपालगंज	विष्णु सुगर्स मिल्स लि०, गोपालगंज	21887379.00	गोपालगंज
7.		मगध सुगर एण्ड एनर्जी लि०, इकाई–भारत सुगर मिल्स, सिधवलिया, गोपालगंज	26481995.00	गोपालगंज
8.	ईख पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर	रीगा सुगर कम्पनी लि०, रीगा, सीतामढ़ी	3746084.00	मुजफ्फरपुर
9.	ईख पदाधिकारी, समस्तीपुर	मगध सुगर एण्ड एनर्जी लि०, इकाई–हसनपुर सुगर मिल्स, हसनपुर, समस्तीपुर	30370000.00	समस्तीपुर
10.	ईख पदाधिकारी, मोतिहारी	एच०पी०सी०एल० बायोफ्यूल्स लि०, सुगौली, पूर्वी चम्पारण	19599134.00	मोतिहारी
11.	ईख पदाधिकारी, सीवान	बजाज हिन्दुस्तान लि०, प्रतापपुर, उत्तर प्रदेश	2974350.00	सीवान
		कुल :–	**31,50,02,109.00**	

(इकतीस करोड़ पचास लाख दो हजार एक सौ नौ) रूपये

ईखायुक्त, बिहार।